भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.02.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 836 का उत्तर

स्थायी यात्री सुविधा केंद्र

836. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश भर में चयनित 76 उच्च यात्री संख्या वाले स्टेशनों में से महाराष्ट्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, विशेषकर मुंबई उपनगरीय खंडों, को स्थायी यात्री सुविधा केंद्र (वाईएसके) स्थापित करने के लिए चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो मुंबई में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनको आरंभ करने के लिए स्टेशन-वार क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुंबई के कई उच्च यात्री संख्या वाले स्टेशनों पर लगातार भीड़भाड़, अपर्याप्त यात्री सहायता, खराब संकेत और कमजोर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जैसी समस्याएं बनी हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या स्टेशन चयन के दौरान इन कारकों पर विचार किया गया था और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मुंबई में वाईएसके की मंजूरी से पहले स्टेशन-विशिष्ट सुरक्षा, जोखिम और भीड़ के आवागमन संबंधी अध्ययन किए गए थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या प्रस्तावित वाईएसके में पर्याप्त कर्मचारी हैं और वे चौबीसों घंटे सुविधा काउंटर, चिकित्सा और आपातकालीन इकाइयों और वास्तविक समय सीसीटीवी/एआई-आधारित निगरानी से सुसज्जित हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): भारतीय रेल समय-समय पर स्टेशन की आवश्यकतानुसार भीड़ नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय करती है। स्टेशनों पर भारी संख्या में यात्रियों की बढ़ोतरी को संभालने के लिए,

सीमित पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों के बाहर होल्डिंग/प्रतीक्षा क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। भारी भीड़ को संभालने के लिए कई अन्य उपायों में केवल आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म तक सीधी पहुंच जैसे अन्य पहुंच नियंत्रण उपाय, बिना टिकट या प्रतीक्षा सूची वाले टिकट वाले यात्रियों को बाहर प्रतीक्षा क्षेत्र तक सीमित करना, सभी अनधिकृत प्रवेश बिंदुओं को सील करना, टिकट जांच, रैंप के साथ चौड़े पैदल पार पुल, सीसीटीवी कैमरे, वॉर रूम, घोषणा प्रणालियों में सुधार, डिजिटल संचार आदि शामिल हैं, जो निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है।

देश भर में होल्डिंग/प्रतीक्षा क्षेत्रों के निर्माण के लिए 76 प्रमुख स्टेशनों की पहचान की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के सात रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे में मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दादर, नागपुर, नासिक रोड और पुणे और पश्चिम रेलवे में बांद्रा टर्मिनस स्टेशन शामिल हैं।

मुंबई क्षेत्र में प्रमुख यातायात में उपनगरीय यात्री शामिल हैं और आवश्यकताएं अनुपनगरीय यातायात से अलग हैं। प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए, घाटकोपर, डोंबिवली, जीटीबी नगर (गुरु तेग बहादुर नगर), गोवंडी और नेरल स्टेशनों पर एलिवेटेड डेक (मौजूदा प्लेटफॉर्मों के ऊपर होल्डिंग क्षेत्र) का निर्माण कार्य मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड (एमआरवीसी) द्वारा शुरू किया गया है।

राइट्स को चिह्नित रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण उपायों के लिए मास्टर प्लानिंग करने के लिए नियुक्त किया गया है।

मुंबई सी.एस.एम.टी. स्टेशन के पुनर्विकास में नए पैदल पार पुल और स्काईवॉक के साथ यात्री प्रवाह में सुधार करना, यात्रियों के सुचारू आवागमन और लोगों के लिए पहुंच में वृद्धि करने और भीड़भाड़ को कम करने हेतु विशाल कॉनकोर्स शामिल है। कल्याण स्टेशन में उपनगरीय और अनुपनगरीय यातायात का पृथक्करण किया जा रहा है। भीड़ को बेहतर ढंग से हटाने के लिए ठाणे स्टेशन पर स्टेशन क्षेत्र में यातायात सुधार योजना (एसएटीआईएस) के तहत स्टेशन सुधार कार्य किए गए हैं।

यात्रियों की जानकारी और सुचारू यात्री आवाजाही के लिए स्टेशनों पर संकेतक लगाए गए हैं। स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली चौबीसों घंटे उपलब्ध है और नियमित घोषणाएं सुनिश्चित की जाती हैं। उपनगरीय यातायात में यात्रियों को गाड़ी के विवरण की जानकारी देने के लिए सभी स्टेशनों पर रेल संकेतक बोर्ड भी लगाए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है।

यात्रियों को अगले स्टेशन और उनकी यात्रा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में सूचित करने के लिए लोकल गाड़ियों के अंदर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी उपलब्ध है। इसके अलावा, उपनगरीय गाड़ियों में आगे और पीछे सूचना बोर्ड होते हैं जिनमें गंतव्य स्थान, गाड़ी का प्रकार, डिब्बों की संख्या और दिव्यांगजनों के लिए डिब्बों के स्थान की जानकारी शामिल होती है। प्रमुख स्टेशनों पर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं और आपात स्थिति में दुर्घटना पीड़ितों को चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर आस-पास के अस्पतालों की जानकारी प्रदान की गई है।
